

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>29/10/2021</p> <p>वावूलाल राव उद्दि राव उपखण्ड अधिकारी</p> <p>राज्य</p> <p>जि. वल्की उपखण्ड अधिकारी का को फर्द नाम H.S. प्र. 29-10-21 (उपखण्ड अधिकारी)</p>	<p>फर्द अहकाम</p> <p>राज्य एच ए प्रोवाली वादीगण एवं उपखण्ड अधिकारी सं. 1, 2 के फर्द अहकाम नं. सं. 5-30 PM का राजीनामा पेश करने पर (तलब की गई) राजीनामा में अंकित बिन्दु हैं मं. पदाकारण के मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा में अंकित बिन्दु हैं कि उपरोक्त इनका मं. मुकदमा में पदाकारण के मध्य राजीनामा राजीनामा हो गया है। वादीगण को उपखण्ड सं. 2 द्वारा वादीगण के कई रतन 510 मंगल से वादीगण के धाके पास आवादी भूमि में 20x33 फिट जमीन रतन 510 मंगल की जमीन में से वादीगण को दिलवा दी है। इसलिए वादीगण एवं उपखण्ड सं. 2 के मध्य भूमि का मुताबिक हिस्सा बंटवारा हो गया है। वादीगण एवं उपखण्ड सं. 2 के पास मुताबिक हिस्सा बंटवारा कराव (जमीन का गई है। अब वादीगण एवं उपखण्ड सं. 2 के मध्य उक्त डाका हाजा में वादीगण राजीनामा के सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नहीं रहा है। एवं मं. 4 पर भूमि का मुताबिक हिस्सा बंटवारा हो गया है। इसलिए मुताबिक राजीनामा डाका वादीगण के तल फलाना जावे।</p> <p>कतः मुताबिक राजीनामा डाका वादीगण मुकदमा नं. 329/2021 इनका मं. वावूलाल ए/ए राज्य डाका वावूलाल का मं. व स्थायी निषेधाज्ञा उच्चारित किया जाता है। प्रोवाली के तल मुताबिक डाका हाजा व मं. 4 शुद्धि एवं फल है। कतः श. सुले न्यायालय में मुताबिक मं.</p>

किस्म.....  
नय 3

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली